आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

नामांतरण अपील वाद सं0 2/2018–19

पुनदेव विश्वकर्मा प्रति रघुवीर ठाकुर

आदेश

25.2.2022

अभिलेख उपस्थापित। प्रस्तुत वाद आवेदक के विज्ञ अधिवक्ता के माध्यम से नामांतरण वाद सं0 301/2005–06 में दिनांक 21.11.2005 को पारित आदेश के विरूद्व अंचल रमना मौजा टंडवा खाता सं0 145 प्लौट सं0 1145, 1319, 1328 रकबा क्रमशः 14, 13½, 13½ डीसमील भूमि जिसका केवाला सं0 4881 दिनांक 12.07.2005 पर अपील वाद दायर किया गया। विपक्षी उपस्थित होकर अपना प्रत्युतर दाखिल किया गया तत्पश्चात् उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि मौजा टंडवा अंचल रमना के खाता सं0 सं0 145 प्लौट सं0 1145, 1319, 1328 रकबा क्रमशः 14, 13½, 13½ डीसमील भूमि का केवाला सं0 4881 दिनांक 12.07.2005 द्वारा बिक्री कर दिए। केवाला में अंकित जरसमन्न मोबलिक 38,000.00 रूपये में एक सप्ताह में चुकता कर दूगाँ। मूल केवाला बिक्रेता /अपीलार्थी के पास है। जो अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी के विश्वास में आकर केवाला कर दिया। प्रत्यर्थी से बार–बार रूपये की मांग करने के बाद भी चुकता नही किया गया है। प्रत्यर्थी/क्रेता द्वारा अपीलार्थी/बिक्रेता का जरसमन की राशि नहीं मिलने के कारण अपीलार्थी/बिक्रेता ने केवाला सं0 4881 दिनांक 12.07.2005 को कैन्सिलनामा/रद्धनामा केवाला सं0 6262 दिनांक 17.08.2005 से कैन्सिल किए गए केवाला रजिस्ट्री कराने के एक सप्ताह बाद जरसम्मन रूपया दे देगें परन्तु विश्वास में केवाला कराने के बाद भी पैसा नही मिला। जिससे अपीलार्थी/बिक्रेता को काफी छति हुई। जिसके लिए अपीलार्थी ने धारा 80 सी.पी.सी. के तहत् वकालतनामा नोटिस भी दी गई है। उक्त बिक्री भूमि पर अपीलार्थी का शांतिपूर्ण दखल कब्जा है। अपीलार्थी के पास मूल केवाला रहने एवं प्रत्यर्थी के केवाला कैन्सिल होने की जानकारी होने के बावजूद भी प्रत्यर्थी ने मूल केवाला सं0 4889 दिनांक 12.07.2005 की सच्ची प्रतिलिपि निबंधन कार्यालय से निकालकार अंचल कार्यालय रमना के मिली भगत से दिनांक 21.11.2005 को स्वीकृत प्राप्त किए है जो सरासर गलत है। अपीलार्थी जब अपने हल्का कर्मचारी के पास रसीद कटाने हेतु रमना अंचल में दिनांक 10.04.2018 को गए तो अपीलार्थी को मालुम हुआ कि प्रत्यर्थी के नाम से नामांतरण वाद सं0 301/2005–06 का अभिलेख नही है। अपीलार्थी अंचल कार्यालय में दौड़ते रहा परन्तु नामांतरण अभिलेख का नकल नही मिला। तो अपीलार्थी ने सूचना अधिकार के तहत् नामांतरण अभिलेख का अंचल कार्यालय द्वारा पत्रांक 129 दिनांक 18.05.2018 के अनुसार प्रेषित करते हुए नामांतरण का अभिलेख उपलब्ध होने की सूचना देते हुए नामांतरण अभिलेख की छायाप्रति उपलब्ध कराई गई है। जिसमें हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा बैठे बैठे बिना समुचित जॉचोपरान्त प्रतिवेदित की गई है जो सरासर गलत है।

लगातार .....

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश कार्रवाई टिप्पणी
1	2	

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी को दिया गया नोटिस अवैध है एवं अनुचित है। अपीलार्थी प्रत्यर्थी रघुबीर ठाकुर से अपीलार्थी जमीन बिक्री कर दिए है। जिसमें पूर्ण जसम्मन लेकर बिक्री कर दिए है। तथा नगद सम्पूर्ण रूपया पाकर अपीलार्थी जमीन को बिक्री कर दिया। प्रत्यर्थी रघुबीर ठाकुर के द्वारा अंचल पदाधिकारी के यहाँ आवेदन देकर उपरोक्त केवाला का नामांतरण अपने नाम से करा लिया है। जिसका नामांतरण सं0 301/2005–06 है तब से लेकर आज तक प्रत्यर्थी के नाम से रसीद कटती आ रही है। तब से लेकर आज तक प्रत्यर्थी उस जमीन पर दखल कब्जे में है। तथा उक्त भूमि का अपने नाम से रसीद कटा रहे है। तब से लेकर आजतक अपीलार्थी के द्वारा आरोप नही लगाया गया है। अब जान बुझकर रूपये की मांग की जा रही है तथा रूपये नही देने पर केश करके मेरे को परेशान किया जा रहा है। अपीलार्थी के द्वारा उक्त केवाला के विरूद्व श्रीमान् के न्यायालय में विविध वाद सं0 849/2018 धारा 144 द.प्र.सं. की गई थी जो केश खारिज किया गया है। हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के द्वारा स्थल जॉच कर जॉचोपरान्त नामांतरण की गई है जो पूर्णतः सही है।

उभय पक्ष को सुना उनकी ओर से दाखिल कागजातों के अवलोकन के उपरान्त पाया कि अपीलार्थी/बिक्रेता ने केवाला सं0 4881 दिनांक 12.07.2005 से क्रेता रघुबीर ठाकुर नाम से भूमि बिक्री किया गया है बिक्रेता को जरम्मन की राशि पूरा नही मिलने के कारण कैन्सिलनामा /रद्धनामा केवाला सं0 6262 दिनांक 17.08.2005 से उक्त केवाला को कैन्सिल कर दिया गया है। कैन्सिल नामा होने के बाद क्रेता द्वारा केवाला के सत्यापित प्रतिलिपि के आधार पर अंचल अधिकारी रमना से नामांतरण वाद सं 301/2005–06 से दिनांक 21.11.2005 को स्वीकृत करा लिया गया है। उभय पक्षों के बीच केवाला से संबंधित विवाद उत्पन्न है। उभय पक्ष चाहे तो सक्षम न्यायालय का शरण ले सकते है।

अतः विद्वान अंचल अधिकारी, रमना के नामांतरण वाद सं0 301/2005–06 में पारित आदेश को निरस्त किया जाता है इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.10 13:33:22 +05:30
Location: 192.168.1.35

Scanned with OKEN Scanner